ओ०पी०सिंह

आई०पी०एस०

डी०जी० परिपत्र संख्या- 15 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांक: अप्रैल 04 ,2019

विषयः रिट याचिका संख्या–156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में **''विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018''** का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी भली–भॉति अवगत है कि अधिकांश गम्भीर अपराधों के अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को विभिन्न रूप से डरा धमका कर या प्रलोभन देकर या अन्य प्रकार से प्रभावित करके दोषमुक्त हो जाते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन एवं राज्य की कानून–व्यवस्था पर पड़ रहा है। इसी सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या–156/2016 महेन्द्र चावला व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुये **'साक्षी सुरक्षा योजना–2018'** की व्यवस्थाओं का पूर्ण मनोयोग से अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–24013/35/2016-CSR III दिनांकित 14.01.2019 को संलग्न करते हुये आप समस्त को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–307/ छः–पु0–9–19–31(16)/2019 दिनांकित 22.02.2019 के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय को परिचालित कराते हुये आपराधिक वादों में साक्षियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 05.12.2018 का अक्षरशः एवं पूर्ण मनोयोग (Letter and sprit) से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय के प्रस्तर–25 में समाविष्ट **'विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम–2018'** के निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर सम्यक् विचार करते हुये तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है, जो निम्नवत् है :–

i- 'विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम–2018' के प्रस्तर–2(c) के अनुसार जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जनपद पुलिस प्रमुख एवं जनपदीय प्रभारी, अभियोजन को सम्मिलित करते हुये सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) का तत्काल गठन किया जाना आवश्यक है, जो विभिन्न गवाहों के सम्बन्ध में अपनी Threat Analysis Report तैयार कराकर उन्हें उपर्युक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगी।

ii- योजना के प्रस्तर–2(i) में मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या 07 वर्ष या उससे अधिक के कारावास तथा मा0द0वि0 की धारा 354,354ए,354बी,354सी,354डी तथा 509 के अपराध को Offence की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

iii- प्रस्तर–2(O) में समर्पित (Dedicated) **'साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ'** (Witness Protection cell) के गठन का उल्लेख किया गया है, जो अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण मनोयोग से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

iv- 2018 की स्कीम में साक्षी सुरक्षा हेतु जनपद के सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) को प्रार्थना पत्र दिये जाने का आलेख संलग्न है, जिस पर योजना के भाग–6 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

v- योजना के भाग–5 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) को कोई भी साक्षी निर्धारित प्रारूप में सुसंगत संलग्नकों सहित स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक अथवा किसी इकाई के राजपत्रित अधिकारी साक्षी सुरक्षा हेतु सक्षम प्राधिकरण को अपनी आख्या प्रेषित कर सकते हैं।

vi- योजना के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् भी योजना के भाग-2 प्रस्तर-3 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक अथवा इकाई से आख्या प्राप्त होने पर किसी साक्षी को अपेक्षित सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत कर सकते हैं।

vii- इस योजना के अन्तर्गत साक्षी के अतिरिक्त उसके परिवार को तथा उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकती है।

viii - साक्षीगण को योजना की व्यवस्थाओं से भली–भॉति अवगत कराया जाना भी अपेक्षित है।

मै चाहूँगा कि प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय तथा उसके प्रस्तर–25 में समाविष्ट **'विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम–2018'** का आप सभी भली–भॉति अध्ययन एवं परिशीलन करके इसकी चर्चा अपराध गोष्ठी में करें एवं जिलाधिकारी, अभियोजन विभाग के अधिकारी एवं अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करके साक्षी सुरक्षा योजना की व्यवस्थाओं को तत्काल लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

५/५/१९

(ओ0पी0सिंह)

समरत वरिष्ठ पुलिरा अधीक्षक/पुलिरा अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण/
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आच्छादित
संख्या–307/छः–पु0–9–19–31(18)/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2019

विषय–रिट याचिका संख्या–156/16 महेन्द्र चावला व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में "विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018" का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–24013/35/2016–सीएसआर.III दिनांक 14.01.2019 द्वारा प्राप्त विटनेस प्रोटेक्शन **स्कीम 2018 एवं रिट याचिका संख्या–156/16 महेन्द्र चावला व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2018 द्वारा क्रिमिनल वादों में साक्षियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया है**, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

35) We, accordingly, direct that :

(i) This Court has given its imprimatur to the Scheme prepared by respondent No.1 which is approved hereby. It comes into effect forthwith.

(ii) The Union of India as well as States and Union Territories shall enforce the Witness Protection Scheme, 2018 in letter and spirit.

(iii) It shall be the 'law' under Article 141/142 of the Constitution, till the enactment of suitable Parliamentary and/or State Legislations on the subject.

(iv) In line with the aforesaid provisions contained in the Scheme, in all the district courts in India, vulnerable witness deposition complexes shall be set up by the States and Union Territories. This should be achieved within a period of one year, i.e., by the end of the year 2019.

The Central Government should also support this endeavour of the States/Union Territories by helping them financially and otherwise.

2– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह योजना साक्षियों को सुरक्षा खतरे के आंकलन के आधार पर उपलब्ध करायेगी और मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.12.2018

Scanned by CamScanner

में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 (छायाप्रति संलग्न) को अक्षरशः व पूर्ण मनोयोग (letter and sprit) से लागू करने के निर्देश दिये गये है और यह योजना संविधान के अनुच्छेद–141/142 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि होगा, जब तक कि इस विषय पर संसद या राज्य सरकार द्वारा कोई ऐक्ट लागू नहीं किया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिमिनल वादों में साक्षियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 05.12.2018 एवं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 सभी सम्बन्धित को परिचालित कराते हुए इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सभी सम्बन्धित से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 एवं रिट याचिका संख्या–158/16 महेन्द्र चावला व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि शासन स्तर से कोई आदेश/कार्यवाही अपेक्षित हो तो उसके लिए सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 एवं रिट याचिका संख्या–156/16 महेन्द्र चावला व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 की प्रति सहित।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

No. 24013/35/2016 – CSR.III
Ministry of Home Affairs
(CS Division)
****

No. 054/MS/GI/2019

New Delhi, Dated 14th January, 2019

To,

Chief Secretaries of all State Governments & UT Administrations.

Subject:- Witness Protection Scheme, 2018.

Sir,

The Ministry of Home Affairs has prepared a "Witness Protection Scheme, 2018" in consultation with the National Legal Service Authority, Bureau of Police Research & Development and the State Governments. This scheme provides for protection of witnesses based on the threat assessment. A copy of the Witness Protection Scheme, 2018 is enclosed. Further, the Hon'ble Supreme Court of India in its Judgment dated 05.12.2018 (Copy enclosed) in Writ Petition (Criminal) No. 156 of 2016 has endorsed the Witness Protection Scheme, 2018 and has also directed that the Union of India as well as States and Union Territories (UTs) shall enforce the Witness Protection Scheme, 2018 in letter and spirit and that it shall be the 'law' under Article 141/142 of the Constitution, till the enactment of suitable Parliamentary and/or State Legislations on the subject.

2. States / UTs are requested to take appropriate steps in this regard. It is also requested that the Witness Protection Scheme, 2018 and Hon'ble Supreme Court of India's Judgment dated 05.12.2018 may be circulated to all concerned, for strict compliance.

Yours faithfully,

(S.K. SHAHI)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23092722

Encl: As above

Copy to:-

1. Home Secretaries of all State Governments & UT Administrations.
2. DGPs of all State Governments & UT Administrations.
3. JS(UT)/JS (NE)/JS(J&K), MHA
4. Director, National Investigation Agency, Lodhi Road, New Delhi.
5. Director, Central Bureau of Investigation, Lodhi Road, New Delhi.
6. DG, Narcotics Control Bureau, R.K. Puram, New Delhi.

Scanned by CamScanner